

पत्र संख्या-11/आ० वि०-07/2021 सा.प्र. 5622

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
 सभी विभागाध्यक्ष।
 सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
 सभी जिला पदाधिकारी।
 सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
 सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
 सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
 सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
 सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।
 सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
 प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना।
 परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।

पटना-15, दिनांक- 24.3.26

विषय :-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में Frequently Asked Questions (FAQs) परिचारित करने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली के प्रावधान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36039/1/2019 Estt (Res) दिनांक-19.01.2019 के आलोक में नियमावली "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" दिनांक-23.02.2019 को निर्गत की गयी, जिसकी धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने से संबंधित मानदंडों की विस्तृत दिशा-निदेश विभागीय अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 द्वारा परिचारित किया गया है।

इस संदर्भ में उक्त अधिसूचना के अनुपालन में होने वाली कठिनाई की ओर विभिन्न अभ्यावेदकों द्वारा पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों/सुझावों आदि के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय कठिनाईयों के निराकरण हेतु एक विस्तृत स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/संशोधन पत्र परिचारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतएव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 द्वारा निर्गत संदर्भित नियमावली के नियम-9 में निहित प्रावधान के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुगमता के उद्देश्य से अधिसूचित नियमावली के नियम को स्पष्ट करने एवं जन साधारण को होने वाली दुविधा/अस्पष्टता के निराकरण हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) को निम्नवत् स्पष्टीकरण के साथ परिचारित किया जा सकता है :-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 'Economically Weaker Section' (EWS) को देय आरक्षण से

संबंधित FAQs

- प्रश्न 1—** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को देय आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अधिनियम द्वारा परिचारित किया गया है।
- उत्तर—** बिहार अधिनियम-2, 2019
- प्रश्न 2—** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- उत्तर—** इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जो SC/ST/OBC आदि आरक्षण में नहीं आते) को सरकारी पदों, सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिले।
- प्रश्न 3—** यह अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ?
- उत्तर—** यह अधिनियम 23 फरवरी 2019 को लागू किया गया।
- प्रश्न 4—** इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान से कैसे है?
- उत्तर—** भारत के संविधान में 103वाँ संशोधन (2019) के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान संभव हुआ, और उसी के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया।
- प्रश्न 5—** बिहार अधिनियम-2, 2019 के क्रियान्वयन किस नियमावली के अंतर्गत किया गया है?
- उत्तर—** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019.
- प्रश्न 6—** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड के निर्धारण से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या क्या है?
- उत्तर—** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 की कंडिका-3.
- प्रश्न 7—** इस अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ ले सकता है?
- उत्तर—** वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आता है, यानी ऐसा परिवार जिसकी कुल वार्षिक आय केन्द्र सरकार के EWS मानदंड के अनुसार हो और जो SC/ST/OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों में नहीं आता हो, वह इस आरक्षण के लाभ का दावा कर सकता है।

- प्रश्न 8— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिभाषा के संदर्भ में कहाँ उल्लेख किया गया है?
- उत्तर— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम F.No.36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति तथा जो भविष्य में समय-समय पर यथा संशोधित किया जाय।
- प्रश्न 9— इस अधिनियम के अनुसार पदों में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा?
- उत्तर— इस अधिनियम के तहत सरकारी पदों में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दिया जाता है।
- प्रश्न 10— शैक्षणिक संस्थानों में कितनी सीटें आरक्षित होंगी?
- उत्तर— इस अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में भी 10% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं।
- प्रश्न 11— क्या वह व्यक्ति जो बिहार के बाहर रहता है, इस आरक्षण का लाभ ले सकता है?
- उत्तर— नहीं, इस अधिनियम के तहत बिहार के बाहर रहने वाले उम्मीदवार इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। केवल वह व्यक्ति जो बिहार राज्य का मूल निवासी हो, लाभ ले सकता है।
- प्रश्न 12— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु परिवार की वार्षिक आय को किस वर्ष के आय के आधार पर सम्मिलित किया जाता है?
- उत्तर— पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष।
- प्रश्न 13— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है?
- उत्तर— प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 01 वर्ष के लिए।
(विभागीय पत्रांक-9247 दिनांक-16.05.2023 द्वारा संशोधित प्रारूप निर्गत)
- प्रश्न 14— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु परिवार की वार्षिक अधिकतम आय कितनी निर्धारित है ?
- उत्तर— 8 लाख रुपये (आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा)।
- प्रश्न 15— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने की क्या प्रक्रिया है?

- उत्तर— अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 के नियम-3(2) की शर्तों के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियाँ धारित नहीं करने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ-पत्र (अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र-11) प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं।
- प्रश्न 16— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण के लाभ हेतु प्रयोजनार्थ पद "परिवार" के अनुसार परिवार में सम्मिलित सदस्यों से क्या तात्पर्य है?
- उत्तर— परिवार में सम्मिलित हैं— अभ्यर्थी, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हों, अभ्यर्थी के माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान।
- प्रश्न 17— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के क्रम में विवाहित महिला/पुरुष के लिए परिवारिक आय एवं परिसम्पति की गणना किस आधार पर की जाती है?
- उत्तर— (i) विवाहित पुरुष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में निमित्त आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र, उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संतान सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के मूल स्थान (अंचल) से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जायेगा।
- (ii) विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से पति की आय के आधार पर निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।
- प्रश्न 18— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के क्रम में तलाकशुदा/परित्यक्तता के मामले में परिवारिक आय एवं परिसम्पति की गणना किस आधार पर की जाती है?
- उत्तर— तलाकशुदा/परित्यक्तता (कानूनी रूप से) के मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा। साथ-ही मायके के परिवार के आधार पर आय एवं परिसंपत्ति की गणना करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पिता के मूल निवास (अंचल) से ही निर्गत होगा।

- प्रश्न 19— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के क्रम में तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला जो अकेली निवासित हो अर्थात् न तो पति के परिवार के साथ और न ही पिता के परिवार के साथ रहती हो, के मामले में परिवारिक आय एवं परिसम्पत्ति की गणना किस आधार पर की जाती है?
- उत्तर— वैसी तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला (कानूनी रूप से) के मामले में भी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा। साथ-ही मायके के परिवार के आधार पर आय एवं परिसंपत्ति की गणना करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पिता के मूल निवास (अंचल) से ही निर्गत होगा।
- प्रश्न 20— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के क्रम में विधवा महिला के मामले में परिवारिक आय एवं परिसम्पत्ति की गणना किस आधार पर की जाती है?
- उत्तर— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ससुराल में रहने की स्थिति में ससुराल पक्ष के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर गणना करते हुए ससुराल के निवास (अंचल) से निर्गत होगा, जबकि मायके में रहने की स्थिति में मायके पक्ष के परिवार के आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर मायके के निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।
- प्रश्न 21— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के संबंध में आय एवं परिसंपत्तियों की सीमाओं की गणना के संबंध में निर्धारित मानदण्ड क्या है?
- उत्तर— अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 की कड़िका-3(2) में वर्णित है कि— ऐसे अभ्यर्थी को, जिनमें परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, चाहे उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :-
- (क) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;
 - (ख) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;
 - (ग) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;
 - (घ) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

- प्रश्न 22—** यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो उक्त स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य शेष रिक्तियाँ कैसे भरी जा सकेगी?
- उत्तर—** किसी विशेष भर्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद इस अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियाँ/सीटें अगले भर्ती वर्ष में बैकलॉग के रूप में आगे नहीं ले जाया जायेगा, अपितु उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्ती वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी।
- प्रश्न 23—** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्तियों की गणना कुल स्वीकृत बल के आधार पर की जायेगी या चालू वर्ष की रिक्तियों पर?
- उत्तर—** किसी भी भर्ती वर्ष में उपलब्ध चालू रिक्ति के आधार पर अर्थात् बैकलॉग अंतर्गत आरक्षित वर्ग को अनुमान्य रिक्तियों को छोड़कर शुद्ध रिक्ति के आधार पर। इस क्रम में किसी स्थापना के अंतर्गत यदि पूर्व से कार्यरत बल में कुल स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत एवं उससे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कार्यरत कर्मी हो, तो रोस्टर गठन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अलग से कोई पद अनुमान्य नहीं कराया जायेगा।
- प्रश्न 24—** यदि कोई व्यक्ति बिहार राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो तथा बिहार राज्य हेतु अधिसूचित केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं हो, तो भारत सरकार के पदों एवं सेवाओं के लिए वह आय एवं परिसंपत्ति के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकता है?
- उत्तर—** वैसी जातियाँ, जो राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में शामिल हैं, परन्तु बिहार राज्य हेतु अधिसूचित OBC (अन्य पिछड़े वर्गों) की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम—F. No. 43011/11/2022—Estt. (Res-II) दिनांक—19.09.2022 द्वारा परिचारित FAQ के प्रश्न संख्या—12 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- प्रश्न 25—** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के समाधान हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक—43011/11/2022—Estt (Res-II) दिनांक—19.09.2022 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के किस परिपत्र द्वारा जारी किया गया है?
- उत्तर—** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०—4824 दिनांक—10.03.2023.
- प्रश्न 26—** क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्र सीमा में छूट और प्रयासों की संख्या संबंधी कोई छूट प्राप्त है?

उत्तर- नहीं। उम्र सीमा एवं प्रयासों की संख्या संबंधी प्रावधान गैर आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी लागू होगी।

प्रश्न 27- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में फर्जी/झूठा साबित होने के उपरांत आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ?

उत्तर- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 की कड़िका-6 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा तथा भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रश्न 28- गुणागुण (Merit) के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन के उपरांत उनकी गिनती किस कोटि में की जा सकेगी ?

उत्तर- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण (Merit) के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

यदि उपर्युक्त सामान्य प्रश्नोत्तर में दिए गए "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" के किसी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे।

उपर्युक्त के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि एतद् संबंधी मार्गदर्शन से अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वनाथजी

(रजनीश कुमार) 29/09/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ० वि०-07/2021 सा.प्र. 5622 पटना-15, दिनांक-24.3.26

प्रतिलिपि-उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विश्वविद्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/सदस्य, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आईटीओ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।